दिनांक 21, 22 सितम्बर, 2016 को निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 की अध्यक्षता में सूडा/डूडा के माध्यम से संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

सूडा के पत्रांक– 2953/110/तीन/97–V दिनांक 16.09.2016 द्वारा निर्गत पत्र के अनुसार समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों से योजनाओं की बिन्दुवार समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक का बिन्दुवार कार्यवृत्त निम्नवत् हैः–

- सर्वप्रथम बैठक में निर्देशित किया गया कि जिस जनपद के परियोजना अधिकारी बैठक में उपस्थित नही हो पा रहे है वे भविष्य में इसका कारण बताते हुए अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें और अपने स्थान पर किस अधिकारी को बैठक हेतु नामित कर रहे इसका भी उल्लेख कर मुख्यालय को सूचित करें।
- समीक्षा बैठक में सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा भी बैठक को सम्बोधित करते हुए निम्न निर्देश दिये गयेः–

1–सभी परियोजना अधिकारियों एवं सी0एण्ड डी0एस0 के प्रतिनिधि को निर्देश दिये गये कि आसरा योजना, शहरी बेघरों हेतु आवास (शेल्टर होम) आदि सभी परियोजनाओं में कार्य तेजी से पूर्ण कराते हुए द्वितीय किश्त की मांग शीघ्र की जाय।

2–शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत प्रत्येक शेल्टर होम की प्रगति हेतु टाइम लाइन चार्ट तैयार कर एक सप्ताह में प्रस्तुत करने हेतु सी0 एण्ड डी0एस0 के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया।

3–सूडा द्वारा संचालित अवस्थापना सुविधा परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्यो की पुनरावृत्ति रोकने हेतु विशेष प्रयास करने के निर्देश दिये गये।

4–सूडा/डूडा द्वारा कराये जा रहे कार्यो का फोटो एल्बम तैयार कर तत्काल मुख्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये।

5–शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण हो जाने पर इसका संचालन एन0जी0ओ0 के माध्यम से कराये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करायें।

बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजना

- बी0एस0यू0पी0 के अंतर्गत समीक्षोपरान्त जनपद–आगरा, इलाहाबाद, को निर्देश दिये गय कि आवासों की कम्पलीशन रिपोर्ट तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र शीघ्र प्रेषित करे तथा पूर्ण आवासो के आवंटन करते हुए उनपर कब्जा दिलाना भी सुनिश्चित करें। जनपद मथुरा के परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे मुख्यालय पर सी0 एण्ड डी0एस0 एवं अवर अभियन्ता के साथ बैठक कराकर आवास निर्माण के संबंध में आ रही समस्याओं का निराकरण करायें।
- आई0एच0एस0डी0पी0 के अन्तर्गत सभी संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि वे तेजी से कार्य पूर्ण कराते हुए धनराशि का उपयोग सुनिश्चित करे तथा रिपोर्ट मुख्यालय को प्रेषित करें।
- सभी परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है उनको शीघ्र लभार्थियों को आवंटित करने एवं लाभार्थी अंशदान की धनराशि कार्यदायी संस्था को शीघ्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही

सुनिश्चित् की जाये। जिन जनपदो में लाभार्थी अंशदान नही जमा हो पा रहा है वहॉ लाभार्थी अंशदान की धनराशि के समतुल्य आवासो में कार्य छोड़ दिये जाने के भी निर्देश दिये गये।

- आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत जनपद अलीगढ़, इलाहाबाद, बागपत, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बरेली, भदोही, बिजनौर, बुलन्दशहर, चन्दौली, फैजाबाद, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गाजियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, ललितपुर एवं सहारनपुर को अवगत कराया गया कि उन्हें जो धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, उसी धनराशि से आवासो के निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना है, उक्त के अतिरिक्त कोई धनराशि देय नहीं होगी।

(कार्यवाही सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

राजीव आवास योजना

राजीव आवास योजनान्तर्गत संबंधित जनपदों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि अपूर्ण परियोजनाओं को प्रत्येक दशा में मार्च, 2017 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित् किया जाये तथा 09 शहर–रायबरेली (दो परियोजनाए), रामपुर, मेरठ, फिरोजाबाद, मथुरा, वाराणसी, गोरखपुर, अलीगढ़ एवं गाजियाबाद के परियोजना अधिकारियों तथा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि वे अवमुक्त की गयी प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर शीघ्र उपलब्ध कराये जिससे कि भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त करने की कार्यवाही पूर्ण की जा सके। इसके अतिरिक्त फिरोजाबाद, गाजियाबाद तथा गोरखपुर में प्रगति में तेजी लाने हेतु भी निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

आसरा योजना

- योजना की समीक्षा में अवगत कराया गया कि कुल स्वीकृत 188 परियोजनाओं में केवल 96 परियोजनाओं हेतु द्वितीय किश्त के प्रस्ताव प्राप्त हुए है। उक्त के दृष्टिगत कार्यदायी संस्था तथा परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि प्रगति में तेजी लाते हुए शीघ्र द्वितीय किश्त के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाय ताकि शासन से ससमय वित्तीय स्वीकृति निर्गत करायी जा सके।
- समीक्षा बैठक में यह भी निर्देश दिये गये कि यदि मूल्यवृद्धि की कोई डी0पी0आर0 प्रस्तुत की जाती है तो उसमें उक्त मूल्यवृद्धि के औचित्य का स्पष्ट उल्लेख किया जाये।
- यदि किसी स्वीकृत परियोजना में किसी विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नही हो पा रहा है तो उसकी स्वीकृत धनराशि यदि सम्भव हो तो नये प्रस्ताव में सम्मिलित कर प्रस्ताव भेजे अन्यथा धनराशि मुख्यालय को वापस कर दें।

(संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

रिक्शा योजना

1. रिक्शा योजनान्तर्गत सभी जनपदों को निर्देशित किया गया कि वे शासन के निर्देशानुसार आयुक्त महोदय के स्तर से गठित समिति के स्तर से करायी गयी जांच के उपरान्त प्राप्त पात्र लाभार्थियों की सूची तत्काल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह भी निर्देशित किया गया कि रिक्शा वितरण हेतु पात्र लाभार्थियों के चयन में संबंधित शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

2. सूडा द्वारा दिनॉक 21 एवं 22 सितम्बर, 2016 को आयोजित समीक्षा बैठक हेतु पत्रांक 2966/110/तीन/97–Vi दिनॉक 19.9.2016 द्वारा जारी एजेण्डा बिन्दु संख्या–11 के अन्तर्गत कम संख्या–01 से 07 तक उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये।

3. मा0 मुख्यमंत्री जी के 'मेगा कॉल सेंटर' परियोजना के अन्तर्गत चयनित विभाग की ई–रिक्शा योजना के लाभार्थियों से सम्बन्धित (पूर्व निर्गत फार्मेट के अनुरूप) विवरण प्रेषित न किए जाने वाले जिलों को निर्देश दिये गये कि तत्काल सूचना प्रेषित की जायें।

(कार्यवाही–समस्त सम्बन्धित डूडा)

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त में यह निर्देशित किया गया था कि सभी जनपद के जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर जनपदों में प्राप्त आवेदन पत्रों पर समयानुसार आवश्यक कार्यवाही करें, अन्तरण के प्रकरणों को निर्धारित समयावधि के अन्दर सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दें। जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक माह में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं कृत कार्यवाही का विवरण नियमित रूप से अभिकरण मुख्यालय पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। खेद का विषय है कि जनपदों द्वारा अपेक्षित सूचना प्रेषित नहीं की गयी है। अभिकरण मुख्यालय पर अनापेक्षित प्रथम अपीलों के योजित होने के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिये गये कि जनपद स्तर से यथा समय आवेदन पत्रों का निस्तारण न किये जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः यह निर्देशित किया कि जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर आवेदन पत्रों का यथा समय निस्तारण करें।

(कार्यवाही–जनसूचना अधिकारी/नोडल अधिकारी जनसूचना, सूडा)

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0)

- बैठक में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सभी उपघटकों की माह अगस्त, 2016 तक की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गयी तथा कम प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुये आपेक्षित प्रगति लाने हेतु निर्देशित किया गया।
- सभी जनपदों को निर्देशित किया गया कि एन0यू0एल0एम0 के अंतर्गत उपघटकवार भौतिक/वित्तीय प्रगति की सूचना एम0पी0आर0 के साथ–साथ एम0आई0एस0 में भी अवश्य दर्शायी जाये। दोनो सूचनाओं में समानता होनी चाहिये।
- स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP) के अंतर्गत एन0यू0एल0एम0 के चयनित शहरों में जिन शहरों की प्रगति शून्य है उनको विशेष तौर पर निर्देश दिये गये कि वे तत्काल बैंकों को लक्ष्य के सापेक्ष अधिक से अधिक आवेदन पत्र प्रेषित कर स्वीकृत/वितरित कराना सुनिश्चित् करे। समीक्षा में समूह ऋण की प्रगति अत्यन्त असंतोषजनक पायी गयी। सभी संबंधित शहरों को निर्देशित किया गया कि जिन शहरों में बैंकों द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है, उनका शाखावार विवरण मुख्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित् किया जाये। इस संबंध में पटल को भी निर्देशित किया गया कि वे कम प्रगति वाले जनपदों की समीक्षा कर प्रगति में तेजी लाने हेतु अनुश्रवण करें।

- कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (EST&P) के अंतर्गत निर्देशित किया गया कि लाभार्थियों के प्रमाणीकरण की कार्यवाही हेतु असेसिंग बॉडी द्वारा कराये गये कार्यो का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

- एस0एम0एण्डआई0डी0(SM&ID)उपघटक के अन्तर्गत पूर्व में गठित स्वयं सहायता समूहो को रिवाल्विंग फण्ड प्रदान करने की कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त जहॉ–जहॉ शहरी आजीविका केन्द्र सुचारू रूप से कार्य कर रहे है उनकी सूचना भी शीघ्र उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये।

- शहरी बेघरो हेतु आश्रय उपघटक के अन्तर्गत निर्देश दिये गये कि जो शेल्टर होम प्रकियाधीन है उनका नियमित अनुश्रवण करते हुए कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाही–समस्त डूडा/सी.एम.एम.यू.)

आई0एल0सी0एस0

- आई0एल0सी0एस0 योजनान्तर्गत पूर्व वर्षो में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्र शीघ्र प्रेषित करने हेतु संबंधित 09 जनपदों को निर्देशित किया गया और मुख्यालय पर उपस्थित होकर आंकड़ो का मिलान करने का निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–संबंधित सूडा/डूडा)

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत जिन 18 जनपदों के पास धनराशि अवशेष है तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी लंबित है, को निर्देशित किया गया कि वे एक सप्ताह में लेखा मिलान कराते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और यदि धनराशि व्यय नहीं हो पायी है तो उसे तत्काल मुख्यालय को वापस करना सुनिश्चित करें।

शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों व अन्य मलिन बस्तियों में इण्टरलॉकिंग, नाली, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधा योजना

- जनपदों को निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रथम किस्त के रूप में उपलब्ध धनराशि के 70 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं समरूप भौतिक प्रगति उपलब्ध कराते हुए द्वितीय किस्त हेतु प्रस्ताव अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

- विभिन्न परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की गयी प्रथम एवं द्वितीय किस्त की धनराशि के उपयोग के संबंध में निर्धारित प्रारुप 42–I के प्रारुप ''क'' एवं ''ख'' पर गुणवत्ता/विशिष्टियॉ /उपयोगिता प्रमाण पत्र की सूचना अवश्य उपलब्ध कराये जाने के निर्देश बैठक में दिये गये।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

सबके लिये आवास (शहरी)–

योजना कियान्वयन की प्रकिया में होने के दृष्टिगत निम्नलिखित आवश्यक निर्देश दिये गयेः–

- सभी जनपद तीन बिन्दुओं की सूचना, निगरानी समिति की सूचना तथा निकाय स्तर पर आवेदन पत्रों के संकलन हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी की सूचना शीघ्र मुख्यालय को उपलब्ध कराये।
- सभी एजेन्सी के माध्यम से नियुक्त विशेषज्ञो का समस्त परियोजना अधिकारियों से परिचय कराते हुए समन्वय कर समस्त जनपदों में सर्वे का कार्य तेजी से प्रारम्भ कराने हेतु निर्देशित किया गया।
- सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे विशेषज्ञो के साथ जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक कराकर योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाना सुनिश्चित करें।
- बैठक में यह निर्देशित किया गया कि प्रारम्भ में छोटी निकायों के प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृत कराने की कार्यवाही कराये।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश

पत्रांक–3173/110/तीन/97 **Vol-VII** दिनांक– 29/09/16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
3. निदेशक कैम्प/वित्त नियंत्रक कैम्प, सूडा।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
5. निदेशक, सी एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0।
6. सूडा के समस्त अधिकारीगण व समस्त पटलप्रभारी को अनुपालनार्थ।
7. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, एन0यू0एल0एम0 शहर।
8. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
9. श्री योगेश आदित्य, सहा0परि0अधि0/वेब मास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट **www.sudaup.org** पर अपलोड करने हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक